न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. कासम खां पुत्र हासन खां, जाति-मुसलमान, निवासी-मण्डार, तह. रेवदर जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 11/2019

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

उपस्थितिः

1. प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: **निर्णय** :- दिनांक 18 अगस्त, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा यह निगरानी आवेदन सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी कासम खां पुत्र हासन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार के पक्ष में क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट भूमि का जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 09.5.2016 को निरस्त कराने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि यह भूमि ग्राम मण्डार किस्म गोचर (अतिक्रमित भूमि) खसरा संख्या 1025/3552 दिनांक 0.05 किस्म वाडा पटवारी द्वारा जारी जमाबंदी व नक्शा अनुसार है जो कि अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2016000611 दिनांक 09.5.2016 के द्वारा श्रीमती लसमा बानो पत्नि श्री सकुर खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार व श्रीमती ज्योति देवी पत्नि श्री ललित कुमार, जाति- टांक, निवासी- मण्डार को 2500 वर्गफीट भूमि का बेचान किया है। यह बेचान ग्राम पंचायत द्वारा जारी नियम विरुद्ध कब्जा स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 का अतिक्रमण मानते हुए वर्ष 1993 व 2005 में अतिक्रमण हटाया था जिसके विरुद्ध माननीय सिविल न्यायालय, रेवदर में दाण्डिक परिवाद संख्या 124/05 अर्न्तगत धारा 147, 427 भारतीय दण्ड सहिता के अर्न्तगत दायर किया गया जो न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसकी अपील माननीय सेशन न्यायालय, सिरोही में दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 38/2005 दायर की गई जो भी खारिज हुई। उप विधि परामर्शी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की अ.शास0 टीप संख्याःएफ.04()सूचना/विधि/परा./457/जयपुर दिनांक 02.5.2013 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री दिनेश कुमार जैन, निवासी- खीपन, तहसील- फलौदी, जिला- जोधपुर को दी गई सूचना में भी राजस्थान पांयती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के तहत आबादी [illegible] कब्जा शुदा स्वामित्व प्रमाण पत्र या स्वामित्व नजरी नक्शा देने का प्रावधान होने [illegible] उल्लेख किया है। जिला कलक्टर (पंचायत), सिरोही के पत्र [illegible] दिनांक [illegible] 2002 के द्वारा भी आबादी [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि के कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र जारी नही करने के स्पष्ट निर्देश जारी किये हुये है। यह कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं नियम, 1996 में भूमि स्वामित्व कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नही है। यह कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार यह भूमि गोचर भूमि है एवं पंचायती राज अधिनियम एवं नियम में गोचर भूमि का विक्रय करने/स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नही है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी कासम खां पुत्र हासन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी कासम खां की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार को नोटिस की तामिल होने के बाद भी सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 29.7.2022 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 (कासम खां) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मण्डार में स्थित खसरा नम्बर 1025/3552 रकबा 0.05 बीघा भूमि की किस्म गोचर नही है, बल्कि हकीकत यह है कि खसरा नम्बर 1025/3552 रकबा 0.05 बीघा भूमि किस्म वाडा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के अनुसार कासम खा वल्द हसन खां कौम मुसलमान निवासी मंडार के मालकी स्वामित्व की भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2072-75 के अनुसार कासम खां पुत्र हसन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार की भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड में कासम खां पत्रु हसन खां के नाम से दर्ज है। यह भूमि ग्राम मण्डार के आबादी क्षेत्र में स्थित है और जिसका नजरी नक्शा पटवारी हल्का मंडार द्वारा बनाया हुआ है। अप्रार्थी कासम खां के पुश्तैनी आबादी भूखण्ड भी है जिस पर अप्रार्थी कासम खां के बाप व दादाओं के समय से मकान व बाथरुम बने हुए है एवं शेष भूखण्ड दक्षिण दिशा की ओर खाली है एवं इसके चार दिवारी बनी हुई है, जो आबादी भूमि में स्थित है और जिसके खसरा सं. 1025/3309 है। जिस पर पुश्तैनी मकान बना हुआ था, जो जर्जर होने से नया मकान बनाया है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा दिनांका 09.05.2016 को एक प्रमाण पत्र इस भूखण्ड को हस्तान्तरण कराये जाने में पंचायत को कोई आपत्ति नही होने बाबत जारी किया गया है। अप्रार्थी कासम खां ने पंजीकृत विकय विलेख के द्वारा श्रीमति सलमा बानू पत्नी श्री सकुर खां जी व ज्योति देवी पत्नी ललित कुमार टांक कुल 2500 वर्गफीट बेचान कर विक्रय विलेख उपपंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराया है, जो विधि अनुसार सही कराया है। यह कि अप्रार्थी कासम खां द्वारा अपनी पुश्तैनी कब्जे की आबादी भूमि जिस पर पुराना मकान बना हुआ था, जो काफी जर्जर होने से उस पर नया मकान बनाया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डार ने जांच करने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो विधि अनुसार [illegible] किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि [illegible] है, जहां [illegible] मुकदमें का प्रश्न है उसके आधार पर दिवानी हक व अ[illegible] उनका कोई इस निगरानी

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आवेदन से संबंध है। यह कि क्रेता द्वारा और निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण स्वीकृत हेतु ग्राम पंचायत, मण्डार में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका प्रार्थना शुल्क राशि रुपये 10/- मात्र जरिये रसीद संख्या 445 दिनांक 16.11.2016 से ग्राम पंचायत, मण्डार में जमा करवाये गये। उसके बाद ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा दिनांक 28.7.2019 को क्रेता सलमा बानू एवं ज्योति देवी को निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। ग्राम पंचायत मंडार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की एवं न ही पंचायत को कोई आर्थिक क्षति हुई है। इस प्रकरण में क्रेता सलमा बानू व श्रीमती ज्योति देवी आवश्यक पक्षकार होते हुए भी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने इन्हें जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। अप्रार्थी कासम खां के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RRT 2015(2)Page 967 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा आर्थी कासम खां पुत्र हसन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार के पक्ष में 2500 वर्गफीट भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 09.5.2016 को जारी किया गया है। इस संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने निगरानी आवेदन में यह उल्लेख किया है कि ''यह भूमि ग्राम मण्डार किस्म गोचर खसरा संख्या 1025/3552 रकबा 0.05 बीघा किस्म वाडा पटवारी द्वारा जारी जमाबन्दी व नक्शानुसार है जो अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2016000611 दिनांक 09.5.2016 के द्वारा श्रीमती लसमा बनो पत्नि श्री सकुर खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार व श्रीमती ज्योति देवी पत्नि श्री ललित कुमार, जाति- टांक, निवासी- मण्डार को 2500 वर्गफीट का बेचान किया है।'' जबकि अप्रार्थी कासम खां का कथन है कि ''खसरा संख्या 1025/3552 रकबा 0.05 बीघा किस्म वाडा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार कासम खां वल्द हसन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार की भूमि है एवं यह भूमि मण्डार के आबादी क्षेत्र में स्थित है।''

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2072-2075 की प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम मण्डार, पटवार हल्का मण्डार के खसरा संख्या 1025/3552 रकबा 0.05 बीघा किस्म वाडा भूमि राजस्व रेकर्ड में कासम खां पुत्र हसन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार के नाम से दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम मण्डार, पटवार हल्का मण्डार के खसरा संख्या 1025/3552 रकबा 0.05 बीघा किस्म वाडा भूमि अप्रार्थी कासम खां पुत्र हसन खां, जाति- मुसलमान, निवासी- मण्डार के मालकी स्वामित्व की भूमि है एवं इस भूमि की किस्म गोचर नही होकर किस्म वाडा भूमि है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही